कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (गृह, शिक्षा एवं कौशल विकास)
Office of the Director General of Audit
(Home, Education and Skill Development)
इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली-110 002
Indraprastha Estate, New Delhi-110 002

सत्यमेव जयते

सूचना

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) दिल्ली, नई दिल्ली और कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय प्राप्ति), नई दिल्ली में सांतवे वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर 8 (आठ) में कल्याण सहायक के बाह्रय संवर्ग में होने वाले रिक्त पदों हेतु इस कार्यालय के काडर नियंत्रण के अधीन समस्त वरिष्ठ लेखापरीक्षकों जिनकी आयु दिनांक 15.07.2020 को 56 वर्ष से कम है एवं वरिष्ठ लेखापरीक्षक के पद पर तीन वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर चुके हैं तथा जिनके पास कल्याण या सामुदायिक क्रियाकलापों, गृह-प्रबंधन, खेल-कूद एवं सांस्कृतिक क्रियाकलापों, कार्मिक, प्रशासन जिसके अन्तगत व्यक्तिगत दावों आदि का निपटान भी है, के क्षेत्र में तीन वर्ष का अनुभव रखते हैं, से आवेदन आमंत्रित किए जाते है|

कल्याण सहायक के पद पर नियुक्ति पर कार्मिक, जन शिकायतें एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के का.ज्ञा. सं. 2/8/97- स्था. (वेतन II) दिनांक 11 मार्च 1998 के साथ पठित का.ज्ञा. सं.2/29/91- स्था. (वेतन II) दिनांक 5 जनवरी 1994 में दी गई शर्तो के अनुसार प्रतिनियुक्ति भता या पद का वेतनमान पाने के हकदार होंगे|

प्रतिनियुक्ति की अवधि केन्द्रीय सरकार के किसी विभाग/किसी अन्य संगठन में, इस नियुक्ति के ठीक पहले दूसरे बाह्रय संवर्ग पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि को समाविष्ठ करते हुए तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी|

इस पद पर चयन के लिए प्रमुख मानदण्ड, कल्याण क्रियाकलापों के लिए व्यक्ति की अभिरूचि और उपयुक्तता होगी| इस प्रकार चयनित कर्मचारी, स्टाफ कल्याण मनोरंजन, सांस्कृतिक एवं सामुदायिक क्रियाकलापों के लिए कल्याण अधिकारी को अपने कार्यों के निर्वाह करने में सहायता करेगा| उसकी निरन्तरता, सन्तोषजनक निष्पादन, रूचि तथा संबंधित क्षेत्र से अभिरूचि पर निर्भर करेगी|

इच्छुक वरिष्ठ लेखापरीक्षक, जो उपरोक्त वर्णित पात्रता मानक पूर्ण करते हों, अपना आवेदन पूर्ण सेवा विवरण तथा कल्याण, सांस्कृतिक क्रियाकलापों आदि के ब्यौरे सहित वरिष्ठ उप-महालेखाकार (प्रशासन)/संबंधित वर्ग अधिकारी की सिफारिश सहित दिनांक 15.07.2020 तक प्रशासन-II अनुभाग में भेज दें|

प्रतिनियुक्ति की अवधि प्रथमतः एक वर्ष के लिए है तथा उसके पश्चात् उनका वर्ष-वार विस्तार उनकी इच्छानुसार कल्याण सहायक के रूप में उनको सौंपें गए कार्यों के संतोषजनक पाये जाने एवं कल्याण अधिकारी द्वारा सिफ़ारिश के अध्यधीन होगी|

ह/-
निदेशक (प्रशासन)